राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हरिनारायण बनाम रतनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो।	
7/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 21-5-1962 को रामदेव पुत्र लिखमा माली ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष हेतु एक दावा तत्कालीन सहायक कलेक्टर बैराठ के समक्ष अपीलार्थी के पिता स्व. श्री केदारनाथ व प्रारूपिक रेस्पोंडेंट्स संख्या 12 लगायत 15 के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री भंवरलाल के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम चक खारड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 6 रकबा 12 बिस्वा, 8 रकबा 7 बिस्वा, 9 रकबा 7 बिस्वा, 10 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 11 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 13 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 14 रकबा 14 बिस्वा, 21 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 22 रकबा 18 बिस्वा, 23 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा का अर्सा दराज यानी करीब 15 वर्ष से काबिज और काश्तकार है। प्रतिवादीगण के पिता स्व. श्री विनोदीलाल पुत्र रामरिछपाल कायस्थ के नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी दर्ज है जो फोत हो चुके हैं और प्रतिवादीगण ही वारिस होने की वजह से वादी से हासिल लेते रहे हैं। वादी बवजह कब्जा काश्त व काश्तकारी अधिनियम कानून के तहत खातेदारी हक प्राप्त करने का मुश्तहक है और वादी ने ही पिछली दो फसलों का लगान भी तहसील हाजा में मार्फत पटवारी हल्का जमा कराया है। वादी को अभी खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुये हैं और दिनांक 9-7-1961 को उसका नामांतरकरण भी फिलहाल नामंजूर कर दिया गया है जिससे बिनाय मुखासमत पैदा होकर दावा दायर करना लाजिमी हुआ, दावा अन्दर मियाद व काबिले समाअत अदालत हाजा है इसलिये घोषणा की जावे कि वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है और रिकॉर्ड सरकारी में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 04/11/1968 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हरिनारायण बनाम रतनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	90/2013	

कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04/11/1968 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 08/02/2013 को इन न्यायालय के समक्ष करीबन 45 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गयी है, ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना आवश्यक समझा जाता है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर इतनी लम्बी अवधि की यानि करीबन 45 वर्ष की डिले को कन्डोन करवाना चाहा गया है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार दिन-प्रतिदिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है | ऐसेमें सरसरी तौर पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | फलस्वरूप अपील अपीलार्थीगण मियाद बाहर धारित कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर